पे3 – 17

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक
आर0के0इन्टरनेशनल स्कूल,किरतपुर नहटौर रोड़ मुकन्दपुर गोपाल किरतपुर,ब्लाक–किरतपुर जनपद–बिजनौर।

पत्रांक:बेसिक / मान्यता / 103-08 / 2018–19 दिनांक 03/04/18

विषयः– नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से,मैं **आर0के0इन्टरनेशनल स्कूल,किरतपुर नहटौर रोड़ मुकन्दपुर गोपाल किरतपुर,ब्लाक–किरतपुर (बिजनौर)** को दिनांक 01–04–2018 से दि0 31–03–2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा–8** तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात्‌ मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2 विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम ,2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस –पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4 पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा।ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एंक पृथक बैंक खातारखेगा।

5 सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक,किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्त्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा;

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा;

(6) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है,पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें;

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है;और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नही करेगें।

7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

(1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–8447 वर्ग मीटर

(2) कुल निर्मित क्षेत्र–1995 वर्ग मीटर

(3) कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल–6452 वर्ग मीटर

(4) कक्षाओं की संख्या–12

(5) प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भंडागार के लिए कक्ष–04

(6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–उपलब्ध है।

(7) पेयजल सुविधा–उपलब्ध है।

(8) मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई–योजना लागू नही है।

(9) बाधा रहित पहुँच–है।

(10) अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध है।

9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।

11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12 स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या......19................है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15 विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

03/4/2018

(महेश चन्द्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पृ0सं0बेसिक/ /2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।

2–सचिव,उ0प्र0,बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।

3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),द्वादश मण्डल,मुरादाबाद।

4–जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,जनपद–बिजनौर।

5–संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी,नगर/विकास क्षेत्र जनपद–बिजनौर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर।

पत्रांक/बेसिक/प्रबन्ध/ 416 /2022–23 दिनांक 27-01-2023

(कार्यालय – आदेश)

कार्यालय पत्रांक–बेसिक / मान्यता / 103–08/2018–19 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा आर० के० इंटरनेशनल स्कूल, किरतपुर, नहटौर रोड़ मुकन्दपुर गोपाल, किरतपुर , ब्लाक किरतपुर , जनपद (बिजनौर) को नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) की शैक्षिक सत्र दिनांक 01.04.2018 से दि० 31.03.2021 तक तीन वर्ष के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान की गयी थी।

विद्यालय प्रबंधक के पत्र दिनांक 17.01.2023 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने का अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के पत्र संख्या 419/79–6–2013–8(एस) (7) / 89 शिक्षा अनुभाग –6, लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 13 में निम्नांकित प्रविधान दिया है।

प्रथमदृष्ट्या निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लेखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबंधिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जाएगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लघन से सम्बंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है " का प्राविधान है।

उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए कार्यालय पत्रांक– बेसिक / मान्यता / 103–08/2018–19 दिनांक 03.04.2018 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पृ०स० / बेसिक / 416 / 2022–23 तददिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ० प्र ० निशातगंज , लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वादश मंडल,मुरादाबाद।
4. प्रबंधक, आर० के० इंटरनेशनल० स्कूल, किरतपुर नहटौर रोड़ मुकन्दपुर गोपाल किरतपुर, ब्लाक किरतपुर , जनपद, बिजनौर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष 0522-4024440, 2780384, 2781120

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: रा0प0नि0/ /2021-22/लखनऊ दिनांक: 8 ~~फरवरी~~ मार्च, 2022

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओ के अनुरोधो को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों मे वास्तविक शैक्षिक संस्थाए ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति सलग्न) के बिन्दु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध मे अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नही है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओ के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध मे समस्त जनपदो को निर्देश प्रेषित कर दिये गये है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव मे यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधो के क्रम मे वर्तमान सत्र मे यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा0प0नि0/5654/2021-22/लखनऊ/तद्दिनांक

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद मे संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट-एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 77AE 166665

NOTARY MUJAHID ZAMA KHAN ADVOCATE/NOTARY Reg. No. 7819 TEHSIL NAJIBABAD Distt. Bijnor GOVT. OF INDIA

शपथ-पत्र

समक्ष श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ-पत्र मिनजानिब सुनील कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी मौं जाटान किरतपुर जिला बिजनौर!

मै शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि

1- यह कि मैं आर के इंटरनेशनल स्कूल किरतपुर का प्रबंधक हूँ!
2- यह कि आर के इंटरनेशनल स्कूल, किरतपुर-नेहटौर रोड, मुकंदपुर गोपाल किरतपुर व आर के इंटरनेशनल स्कूल, मुकंदपुर गोपाल किरतपुर का पता एक ही है व सही है!
3- यह कि आर के इंटरनेशनल स्कूल के उपरोक्त दोनों पते सही है!

यह कि उक्त शपथ पात्र का पर 1-3 तक मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है! इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है!

ईश्वर मेरी मदद करे!

19-01-2023

Sworn before me on ....

The deponent Sunil Kumar

is/are identified by Shri...................

I have satisfied ... by examining the deponent who ... of the affidavit which ... and explained by me to deponent.

Mujahid

MUJAHID ZAMA KHAN-Advocate 19-01-2023

NOTARY, Tehsil Najibabad